

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301] No. 301] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 2018/माघ 3, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 2018/MAGHA 3, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2018

का. **बा. 351(ब्र).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 26 जनवरी, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1 और धारा 4 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 1/1/2018-सीएल. I]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2018

S.O. 351(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the 26th January, 2018 as the date on which the provisions of section 1 and section 4 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/1/2018-CL.I]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

457 GI/2018